न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2014RAAJu075RLR006 Jagdishram etc Vs SDO Phalodi etc

1. जगदीशराम पुत्र भीखाराम विश्नोई
2. ओमप्रकाश पुत्र भीखाराम विश्नोई
3. पेमाराम पुत्र भीखाराम विश्नोई
4. भंवरलाल पुत्र भीखाराम विश्नोई
5. पांचाराम पुत्र भीखाराम विश्नोई

सभी निवासीगण चन्द्रनगर, पटवार हळका जम्भेश्वरनगर तहसील लोहावट (फलोदी), जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. उपखण्ड अधिकारी, फलौदी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 075 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 31 मार्च 2001 उपखण्ड अधिकारी, फलोदी कमांक राजस्व/2001/860

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा ग्राम पंचायत जम्भेश्वर नगर की मांग पर तहसीलदार फलोदी को (अपठनीय) एवं पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रनगर के खसरा संख्या 2338 रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मगरा से गोचर में परिवर्तित करने के आदेश देते हुए पारित आदेश कमांक 2001/860 दिनांक 31 मार्च 2001 के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 मार्च 2014 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र पेश कर अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की नकल पेश करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

1. वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2338 रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा में से 50 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट्स का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है।
2. खसरा संख्या 2338 का सम्पूर्ण रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा नहीं है, अपितु 491 बीघा 07 बिस्वा ही मगरा है और बकाया 50 बीघा भूमि बारानी चारम किस्म की है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकपुर

उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खतौनी) ग्राम चन्द्रनगर संवत 2054 से 2057 के अवलोकन से प्रकट होता है।

3. प्रश्नगत खसरा संख्या 2338 की भूमि गोचर हेतु आवण्टित करने के संबंध में तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध) में भी 50 बीघा भूमि पर अतिकमण जाहिर किया गया है।
4. अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद अपीलाण्ट्स द्वारा एक सिविल रिट याचिका संख्या 11001/2010 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की, जिसमें विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति का आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 पारित किया हुआ था, बाद में पक्षकारान की सुनवाई कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09 जनवरी 2014 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि दो माह के भीतर सक्षम न्यायालय में अपीलाण्ट्स कार्यवाही करे, तब तक स्थगन आदेश लागू रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार आलौच्य अपील पेश की गयी है।
5. उक्त वर्णित 50 बीघा भूमि में से कुछ अपीलाण्ट को भूमि आवण्टित हुई, जिसका म्युटेशन संख्या 3 दर्ज किया गया तथा बकाया भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा आज भी चला आ रहा है।
6. वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक रूप से संवत 2012 के पूर्व से ही अपीलाण्ट्स के पिता भीखाराम का वास्तविक रूप से कब्जा काश्त रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से रह गया, लेकिन गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में अपीलाण्ट्स के पिता व उनके देहान्त के बाद अपीलाण्ट्स का नाम खसरा परिवर्तनशील में चला आ रहा है। इस राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 के प्रावधानानुसार गोचर हेतु केवल अनाधिवासि भूमि के संबंध में ही कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, आलौच्य प्रकरण में अपीलाण्ट्स के कब्जे में 50 बीघा भूमि स्वयं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार होना सिद्ध हैं जिसे अनदेखा किया जाना न्यायोचित नहीं है।
8. गोचर भूमि तय करने हेतु निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार गॉव के पशुओं की संख्या एवं उपलब्ध गोचर भूमि को ध्यान में रखते हुए वांछित भूमि का रकबा निर्धारित कर तदनुसार सम्भावित उपलब्ध क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए सूचना सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता से सुझाव/आपत्तियॉ आमन्त्रित करने हेतु चस्पा की जानी होती है। मगर आलोच्य प्रकरण में इस प्रकिया का समुचित पालन किया जाना नहीं पाया जाता है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत निर्धारित विधिक प्रकिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पालना सुनिश्चित करते हुए पारित किया गया है। गोंचर भूमि हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के आधार पर प्रशासन से मांग की गयी और तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए तहसीलदार से विधिवत रिपोर्ट प्राप्त कर, गांव में उपलब्ध गोचर भूमि एवं पशुओं की संख्या तथा उनके अनुपात में वांछित गोचर भूमि की गणना के आधार पर और अतिरिक्त आवश्यक भूमि आवण्टन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपीलाट्स द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पेटीशन संख्या 11001/2010 जगदीशराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि पेश की, जिसमें आदेश दिनांक 09 जनवरी 2014 पारित करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण को उक्त आदेश पारित किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के निर्देश दिये। इससे साफ जाहिर है कि इस मामले में अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त आरजी में हित निहित है और अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रतिकूलरूपेण प्रभावित हो रहे है इसलिए अपने हितों की रक्षार्थ कानूनन सर्वत्र प्रयास किये जा रहे है। अपीलाण्ट्स द्वारा किये जाने वाले इन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए और उनकी ओर से प्रस्तुत रिकार्ड को देखने के बाद प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निगरानी एस.बी.सिविल रिटे पेटीशन संख्या 11001/2010 में पारित निर्णय 09 जनवरी 2014 में माननीय उच्च द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसरण में अदालत हाजा में आलौच्य अपील दिनांक 06 मार्च 2014 को अपीलाण्ट्स की ओर से पेश कर दी गयी है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अपीलाधीन आदेश तथा अपीलाण्ट्स से संबंधित सिविल रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी 2014 के आलोक में आलौच्य अपील सम्यक तत्परता से किये जाने से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाना माना जाता है।

चूंकि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है, इस कारण अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत "प्रार्थनापत्र बाबत अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की नकल पेश करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में" किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है। किन्तु यह तथ्य गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलाधीन आदेश का कमांक 860 की बजाय 354 है। अन्य बातें, यथा दिनांक, खसरा संख्या, रकबा आदि सभी समान है।

मूल अपील के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि--

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खतौनी) ग्राम चन्द्रनगर संवत 2054 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2057 के अनुसार खसरा संख्या 2338 का सम्पूर्ण रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा नहीं है, अपितु 491 बीघा 07 बिस्वा भूमि ही गैरमुमकिन मगरा है और बकाया 50 बीघा भूमि बारानी चारम किस्म की है जो पृथक-पृथक किस्मवार दर्ज है।

2. इस खसरा संख्या 2338 की भूमि गोचर हेतु आवण्टित करने के संबंध में तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध) में भी 50 बीघा भूमि पर अतिकमण जाहिर किया गया है।

3. जो पत्र सरपंच ग्राम पंचायत जम्भेश्वर नगर द्वारा दिनांक 20 मार्च 2001 को उप-जिला कलेक्टर फलोदी को राजस्व गांव चन्द्रनगर के खसरा संख्या 2338 रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा की भूमि को गौचर करने बाबत लिखा गया है, उसमें लिखा है कि "....राजस्व गांव चन्द्रनगर के खसरा न. 2338 रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा पडत भूमि का अतिकमण हो रहा है...."। फिर तहसीलदार फलोदी ने अपनी रिपोर्ट में **50 बीघा भूमि पर अतिकमण होना स्पष्ट लिखा** है। अपनी इसी रिपोर्ट में तहसीलदार ने भूमि की किस्म **"गैरमुमकिन मगरा व सिवायचक"** अंकित किया है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में प्रस्ताव की तारीख 20 अगस्त 1998 दर्ज है और गांव की पशु संख्या 1569 अंकित की गयी है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम पंचायत फलोदी का एक प्रस्ताव संख्या चार दिनांक 20 अगस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1998 उपलब्ध है, जिसमें वादग्रस्त खसरा संख्या 2338 बाबत निम्नानुसार अंकित किया गया है -- " .... ग्राम चन्द्रनगर के सुरनाडा के पास में खसरा संख्या 2338 का 5 बीघा श्मशान की भूमि छोडकरपुरा हिस्सा जो पडत भूमि है, वह सारी भूमि गोचर भूमि में परिवर्तिन कर दी जावे तो मवेशियों के लिए चारा की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ..."

5. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के **नियमं 6** के प्रावधानानुसार गोचर हेतु केवल **अनाधिवासित** भूमि के संबंध में ही कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, आलौच्य प्रकरण में 50 बीघा भूमि पर अतिकमण स्वयं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार होना सिद्ध हैं। जिससे सम्पूर्ण भूमि अनाधिवासित नहीं थी। इस तथ्य को अनदेखा किया जाना न्यायोचित नहीं है।
6. अपील स्तर पर प्रस्तुत विभिन्न वर्षो की खसरा परिवर्तनशील की छायाप्रतियों के अवलोकन से खसरा संख्या **2330** के आगे कृषक के कॉलम में संवत 2032 में भीखाराम पुत्र रामचन्द्र कौम विश्नोई का नाम दर्ज हैं। यही स्थिति संवत **2035** व अन्य आगे के वर्षो में भीखाराम व भीखाराम के बाद उसके पुत्रगण के साथ पाई गई है। इनमें खसरा परिवर्तनशील संवत 2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2047, 2048, 2055, 2056, 2058, 2060 व 2047 मुख्य है।
7. इतना ही नहीं, नायब तहसीलदार फलोदी की ओर से खसरा संख्या 2338 के संबंध में अपीलाण्ट प्रेमाराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भीखाराम पांचाराम पुत्र भीखाराम को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 का नोटिस संवत **2067** के लिए, पांचाराम पुत्र भीखाराम को संवत 2067 के लिए जारी भी किया है।

8. आलौच्य आदेश से गोचर हेतु आवण्टित भूमि का रकबा 4 हैक्टेयर से कई गुना अधिक है परन्तु 4 हैक्टेयर से अधिक भूमि होने की स्थिति में राज्य सरकार से पूर्व अनुमति जो आवश्यक है, नहीं ली गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रथमतः ग्राम चन्द्रनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 2338 का सम्पूर्ण रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा नहीं होकर उसमें 50 बीघा भूमि की किस्म बारानी चारम है। इस भूमि पर अंशतः न्यूनाधिक अपीलाण्ट्स का कब्जा होना खसरा परिवर्तनशील के अवलोकन से होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्व से अधिवासित (occupied) उक्त 50 बीघा बारानी चारम भूमि का गोचर भूमि के तौर पर आवण्टन किया जाना समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है क्योंकि गोचर भूमि के लिए अनाधिवासित क्षेत्र होना कानूनन जरूरी है, जैसाकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 में विहित किया गया है। मगर आलौच्य मामले में इसे अनदेखा किया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश ग्राम चन्द्रनगर की वादग्रस्त खसरा संख्या 2338 कुल रकबा 541 बीघा 07 बिस्वा में से ***50 बीघा बारानी चारम किस्म की भूमि के संबंध में मय***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंधित नामान्तरण संख्या 115/9.7.2001 निरस्त करते हुए अपीलाधीन आदेश इस प्रकार संशोधित किया जाता है "..अतः ग्राम पंचायत जम्भेश्वर नगर की मांग पर तहसीलदार फलोदी की अभिशंसा एवं पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रनगर के खसरा संख्या 2338 रकबा 491 **बीघा** 07 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन मगरा से गोचर में परिवर्तन के आदेश दिये जाते है।" इस संबंध में अपीलाधीन आदेश से रकबा 491 बीघा 07 बिस्वा भूमि गोचर में परिवर्तन की नियमानुसार पुष्टि राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी फलोदी को आदेशित किया जाता है। शेष 50 बीघा किस्म बारानी चारम भूमि का कब्जा तहसीलदार फलोदी ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर से प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में इसे सिवायचक के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 10/11/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर